रजिस्टर्ड नं० एल०-33/एस० एम०/13-14/96.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, मंगलवार, 2 अप्रैल, 1996/13 चैत्र, 1918

हिमाचल प्रदेश सरकार

विधि विभाग

(विधायी एवं राजभाषा खण्ड)

अधिसूचना

शिमला-2, 4 अगस्त, 1995

संख्या एल० एल० आर० (राजभाषा) बी (16)-2/95.—हिमाचल प्रदेश होम गार्डज ऐक्ट, 1968 (1968 का 20) के राजभाषा (हिन्दी) अनुवाद को हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, के तारीख 11-7-1995 के

2460-राजपत्र/95-2-4-96—1,225. मूल्य : 1 रुपया ।

प्राधिकार के अधीन एतद्द्वारा राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किया जाता है और यह हिमाचल प्रदेश राजभाषा (अनुपूरक उपबन्ध) अधिनियम, 1981 (1981 का 12) की धारा 3 के अधीन उक्त अधिनियम का राजभाषा (हिन्दी) में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा ।

हस्ताक्षरित/–

सचिव (विधि) ।

हिमाचल प्रदेश गृह-रक्षक दल अधिनियम, 1963

(1968 का 20)

31-3-1995 को यथाविद्यमान

हिमाचल प्रदेश में आपात् स्थिति में और उससे सम्बन्धित अन्य प्रयोजनों के लिए उपयोग करने के लिए गृह-रक्षक दल के गठन का उपबन्ध करने के लिए अधिनियम ।

भारत गणराज्य के उन्नीसवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश गृह-रक्षक दल अधिनियम, 1968 है ।

(2) इस का विस्तार सम्पूर्ण हिमाचल प्रदेश पर है ।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा ।

इस अधिनियम के प्रवर्तन से किसी जिला या क्षेत्र का अपवर्जन ।

2. सरकार, अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रवर्त्तन से किसी जिला या क्षेत्र को अपवर्जित कर सकेगी ।

परिभाषाएं ।

3. इस अधिनियम में जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो .—

(क) "प्ररूप" से इस अधिनियम की अनसूची में प्ररूप अभिप्रेत है ;

(ख) "सरकार" से हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत है ;

(ग) "स्थानीय प्राधिकरण" से नगरपालिका, लघु नगर या अधिसूचित क्षेत्र समिति, जिला परिषद्, ग्राम पंचायत या अन्य प्राधिकरण अभिप्रेत है जो नगरपालिका या स्थानीय निधि के नियन्त्रण अथवा इन्तजाम के लिए वैद्य रूप से हकदार है, या जिसे यह सरकार द्वारा न्यस्त किए गए हैं ;

(घ) "अधिसूचना" से उचित प्राधिकार के अधीन राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है ;

(ङ) "राजपत्र" से हिमाचल प्रदेश राजपत्र अभिप्रेत है ; और

(च) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ।

गृह-रक्षक दल का गठन और महा आदेशक तथा आदेशक की नियुक्ति ।

4. (1) सरकार, अधिसूचना द्वारा, (हिमाचल प्रदेश राज्य), के लिए गृह-रक्षक दल के नाम से ज्ञात एक स्वयं सेवी निकाय गठित करेगी, जिसके सदस्य लोगों को संरक्षण; सम्पत्ति की सुरक्षा, लोक सुरक्षा और आवश्यक सेवाएं जैसे इस अधिनियम के उपबन्धों और तद्धीन बनाए गए नियमों के अनुसार उनको सौंपे जाएं, बनाए रखने के संबंध में, ऐसे कृत्यों और कर्त्तव्यों का निर्वहन करेंगे :

परन्तु सरकार, अधिसूचना द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य को दो में या अधिक क्षेत्रों में विभाजित कर सकेगी और ऐसे प्रत्येक क्षेत्र के लिए एक आदेशक नियुक्त कर सकेगी ।

---

1 ए0ओ0 1973 द्वारा "हिमाचल प्रदेश, केन्द्र शासित प्रवेश" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

(2) किसी क्षेत्र के लिए उप-धारा (1) के अधीन गठित गृह-रक्षक दल का प्रशासन और कमान, महाआदेशक के सम्पूर्ण कमांड और नियन्त्रण के अधीन रहते हुए, आदेशक जिसे सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा में निहित की जाएगी :

परन्तु आदेशक, महाआदेशक के अनुमोदन से, ऐसे प्रशासनिक और अनुशासनिक कृत्यों को, जो संगठन के दक्षतापूर्ण कार्य करनें के लिए आवश्यक हो, अपनें अधीनस्थ किसी अधिकारी को प्रत्यायोजित कर सकेगा।

(3) सम्पूर्ण हिमाचल प्रदेश में गृह-रक्षक दल का साधारण अधीक्षण और नियन्त्रण महा-आदेशक में निहित होगा जिसको सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा।

(4) जब तक उप-धारा (1) के अधीन किसी क्षेत्र में आदेशक नियुक्त नहीं किया जाता है, तब तक महाआदेशक इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन आदेशक को सौंपी गई शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का पालन भी कर सकेगा।

गृह-रक्षक दल के सदस्यों की नियुक्ति।

5 (1) महाआदेशक के अनुमोदन के अधीन रहते हुए आदेशक व्यक्तियों को ऐसी संख्या जैसी, समय-समय पर सरकार द्वारा अवधारित की जाए, गृह-रक्षक दल के रूप में नियुक्त कर सकेगा जो सेवा करने के लिए उपयुक्त और रजामन्द है और ऐसे किसी सदस्य को अपने अधीन कमांड के किसी पद पर नियुक्त कर सकेगा।

(2) उप-धारा (1) में किसी बात के होते हुए भी महा आदेशक ऐसे किसी सदस्य को सीधे अपने नियन्त्रण के अधीन कमांड से किसी कार्यालय में नियुक्त कर सकेगा।

(3) गृह रक्षक दल का सदस्य, नियुक्ति पर, प्ररूप-I में घोषणा करेगा और ऐसे अधिकारी जैसा विहित किया जाए, की मोहर और हस्ताक्षरों के अधीन, प्ररूप-II में नियुक्ति का प्रमाण-पत्र प्राप्त करेगा।

(4) इस निमित्त बनाए गए किन्हीं नियमों के अधीन रहते हुए, गृहरक्षक दल के सदस्य से गृहरक्षा संगठन में (प्रशिक्षण में व्यतीत की गई अवधि को सम्मिलित करते हुए) तीन वर्ष की अवधि के लिए जिस अवधि को सरकार द्वारा ऐसी अवधि जैसे यह आवश्यक समझें, तक आगे बढ़ाया जा सकेगा सेवा करने की अपेक्षा की जाएगी और तत्पश्चात् गृहरक्षक दल का सदस्य इसमें इसके पश्चात् यथा उपबन्धित गृह-रक्षक दल को गठित रिजर्व बल में, तीन वर्ष की अवधि के लिए, सेवा करेगा और ऐसे रिजर्व बल में सेवा करते हुए, किसी भी समय ड्युटि के लिए बुलाए जाने के लिए दायी होगा।

गृह-रक्षक दल के सदस्यों को उन्मोचित करने की शक्ति।

6. धारा 5 की उप-धारा (4) मे किसी बात के होते हुए भी महा आदेशक या आदेशक को किसी भी समय, ऐसी शर्तों के जैसी विहित की जाएं, के अधीन रहते हुए गृह रक्षक दल के किसी सदस्य को यदि उसकी राय में, ऐसे सदस्य की सेवाएं आगे अपेक्षित नहीं हैं।

गृह-रक्षक दल का रिजर्व बल।

7. सरकार, अधिसूचना द्वारा, गृह-रक्षक दल के सदस्यों जिन से धारा 5 की उप-धारा (4) के अधीन रिजर्व बल में सेवा करना अपेक्षित है, से गठित गृह-रक्षक दल के रिजर्व बल का गठन करेगी।

सदस्यों का प्रशिक्षण, कृत्य और कर्तव्य ।

8. (1) महा आदेशक, आदेशक जिला मैजिस्टेट या आदेशक द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी, किसी भी समय किसी गृह-रक्षक दल के सदस्य को, इस अधिनियम के उपबन्धों और तद्धीन बनाए गए नियमों के अनुसार प्रशिक्षण या गृह-रक्षक दल को सौंपे गए किन्हीं कृत्यों या कर्त्तव्यों के निर्वहन के लिए बुला सकेगा ।

(2) महा आदेशक, अपात स्थिति में, गृहरक्षक दल के सदस्य को हिमाचल प्रदेश के किसी भाग में प्रशिक्षण या उक्त कृत्यों या कर्त्तव्यों में से किसी के निर्वहन के लिए बुला सकेगा ।

शक्तियां, संरक्षण, और नियन्त्रण ।

9. (1) जब धारा 8 के अधीन गृह रक्षकदल के सदस्य को बुलाया जाता है, तब उसे वही शक्तियां, विशेषाधिकार और संरक्षण प्राप्त होंगे जैसे तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन नियुक्त पुलिस अधिकारी के है ।

(2) ऐसे सदस्य के रूप में अपने कृत्यों और कर्तव्यों के निर्वहन में उस द्वारा की गई या की जाने के लिए तात्पर्यित किसी बात के बारे में गृह-रक्षक दल के विरुद्ध कोई भी अभियोजन जिला मैजिस्ट्रेट की पूर्व मन्जूरी के बिना संस्थित नहीं किया जाएगा ।

पुलिस बल के अधिकारियों द्वारा नियंत्रण ।

10. जब धारा 8 के अधीन गृह-रक्षकदल के सदस्यों को पुलिस बल की सहायता के लिए बुलाया जाता है, तब वे ऐसी रीति में और ऐसी सीमा तक पुलिस बल के अधिकारियों के नियन्त्रणाधीन होंगे, जैसी विहित की जाएं ।

गृह-रक्षक दल का सदस्य न रहने पर व्यक्तियों द्वारा प्रमाण-पत्र, आयुध, आदि का परिदत्त किया जाना ।

11. (1) प्रत्येक व्यक्ति जो किसी कारण से गृह-रक्षकदल का सदस्य नहीं रहता है तो वह तत्काल, आदेशक या ऐसे व्यक्ति को, और ऐसे स्थान पर, जैसा आदेशक निदेश दें, पहचान-पत्र और आयुध, गोला बारूद, साजसज्जा, वस्त्र तथा अन्य आवश्यक वस्तुएं जो ऐसे सदस्य के रूप में उसे दी गई हों परिदत्त करेगा ।

(2) कोई मैजिस्ट्रेट या, विशेष कारणों से जिन्हें लेखबद्ध किया जाएगा, कोई पुलिस अधिकारी, जो सहायक या उप-अधीक्षक पुलिस की पंक्ति से नीचे का न हो, उसके नियुक्ति या पद के प्रमाण-पत्र, पहचान-पत्र, आयुध, साज-सज्जा, वस्त्र या अन्य आवश्यक वस्तु की, जो इस प्रकार परिदत्त नहीं की गई हो, तलाशी और अभिग्रहण के लिए, जहां कहीं भी वे पाई जाएं, वारण्ट जारी कर सकेगा । इस प्रकार जारी किया गया प्रत्येक वारण्ट, पुलिस अधिकारी द्वारा या यदि जारी करने वाला मैजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी ऐसा निर्दिष्ट करे तो किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 (1898 का 5) के उपबन्धों के अनुसार निष्पादित किया जाएगा ।

(3) इस धारा की कोई भी बात किसी वस्तु, जो महाआदेशक के आदेशों के अधीन उस व्यक्ति की सम्पत्ति बन गई है जिसे वह दी गई थी, को लागू नहीं समझी जाएगी ।

कर्तव्य आदि की उपेक्षा के लिए सदस्यों को दण्ड ।

12 (1) महा आदेशक या आदेशक को अपने नियन्त्राधीन गृह-रक्षकदल के किसी सदस्य को निलम्बित करने, पंक्ति में अवनत करने या पदच्युत करने अथवा पचास रुपये से अनाधिक जुर्माना करने का प्राधिकार होगा, यदि ऐसा सदस्य, धारा 8 के अधीन बुलाए जाने पर, युक्तियुक्त कारण के बिना, ऐसे आदेश या गृह-रक्षकदल के सदस्य के रूप में अपने कृत्यों और कर्त्तव्यों का निर्वहन करने में अथवा अपने कृत्यों और कर्त्तव्यों के अनुपालन के लिए उसे दिए गए किसी विधिपूर्ण आदेश या निदेश का पालन

करने की उपेक्षा करता है या पालन करने से इन्कार करता है, अनुशासन या दुराचरण के किसी भंग का दोषी है। महा आदेशक या आदेशक गृह-रक्षकदल के किसी सदस्य को आचरण जिस से किसी आपराधिक आरोप पर उसकी दोष सिद्धि हुई है, के आधार पर, पदच्युत करने का प्राधिकार होगा।

(2) जब उप-धारा (1) के अधीन महा आदेशक या आदेशक गृह-रक्षकदल के किसी सदस्य को निलम्बित करने, पंक्ति में अवनत, पदच्युत या जुर्माना करने का आदेश पारित करता है, तब वह ऐसे आदेश को, उसके कारणों और की गई जांच के नोट सहित, अभिलिखित करेगा या करवाएगा और महाआदेशक या समादेशक द्वारा ऐसा आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक कि सम्बद्ध व्यक्ति को अपनी प्रतिरक्षा में सुनवाई का अवसर नहीं दे दिया जाता है।

(3) आदेशक के आदेश द्वारा व्यक्ति गृह-रक्षकदल का कोई सदस्य ऐसे आदेश के विरुद्ध महाआदेशक को और महाआदेशक के आदेश से व्यथित कोई सदस्य ऐसे आदेश के विरुद्ध सरकार को, उस तारीख से तीस दिन के भीतर जब ऐसे आदेश को नोटिस की उस पर तामील की गई थी, अपील कर सकेगा। यथास्थिति, महाआदेशक या सरकार ऐसा आदेश जैसा वह या यह ठीक समझे पारित कर सकेगी।

(4) महाआदेशक या सरकार, किसी भी समय, यथास्थिति, आदेशक द्वारा पारित ऐसे आदेश की वैधता या औचित्य के बारे में अपने या इसके समाधान के प्रयोजन के लिए, उप-धारा (1) के अधीन क्रमशः आदेशक या महाआदेशक द्वारा पारित किसी आदेश के अभिलेख को मंगा सकेगा या सकेगी और परीक्षा कर सकेगा/सकेगी और उसके संबंध में ऐसा आदेश पारित कर सकेगा/सकेगी जैसा वह या यह ठीक समझे।

(5) इस धारा के अधीन प्रत्येक आदेश, यदि उससे इसमें इसके पूर्व यथा उपबन्धित कोई अपील नहीं की जाती है, और अपील या पुनरीक्षण में पारित प्रत्येक आदेश, अन्तिम होगा।

(6) इस धारा के अधीन अधिरोपित कोई जुर्माना, किसी न्यायालय द्वारा अधिरोपित जुर्माने की वसूली के लिए दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 (1898 का 5) द्वारा उपबन्धित रीति में वसूल किया जा सकेगा। मानो ऐसा जुर्माना न्यायालय द्वारा अधिरोपित किया गया था।

(7) इस धारा के अधीन गृह-रक्षकदल के किसी सदस्य पर अधिरोपित कोई दण्ड उस शास्ति के अतिरिक्त होगा जिसके लिए ऐसा सदस्य धारा 13 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन दायी है।

स्पष्टीकरण.—जब महा आदेशक, आदेशक की शक्तियों का प्रयोग करते समय उप-धारा (1) या धारा 6 के अधीन आदेश पारित करता है तो,—

(क) ऐसे आदेश व अपील सरकार को होगी ;

(ख) उप-धारा (4) के प्रयोजनों के लिए, ऐसे आदेश के बारे पुनरीक्षण की शक्तियां सरकार में निहित होंगी।

शास्ति ।

13. (1) यदि गृह-रक्षकदल का कोई सदस्य, धारा 8 के अधीन बुलाए जाने पर, युक्तियुक्त कारण के बिना ऐसे आदेश का पालन करने या ऐसे सदस्य के रूप में अपने कृत्यों का निर्वहन करने अथवा अपने कर्तव्यों के अनुपालन के लिए उसको दिए गए किसी विधिपूर्ण आदेश या निदेश का पालन करने की उपेक्षा करता है या इन्कार करता है तो वह, दोषसिद्धि पर साधारण कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो दो सौ पचास रुपये तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से, दण्डनीय होगा ।

(2) यदि गृह-रक्षकदल का कोई सदस्य धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबन्धों के अनुसार अपनी नियुक्ति या पद का प्रमाण-पत्र अथवा किसी अन्य वस्तु को परिदत्त करने की जानबूझकर उपेक्षा करता है तो वह, दोषसिद्धि पर, कारावास से, जिसकी अवधि एक मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक सौ रुपये तक का हो सकेगा अथवा दोनों से, दण्डित किया जाएगा ।

(3) उप-धारा (1) या (2) के अधीन किसी भी न्यायालय में कोई भी कार्यवाही महा आदेशक की पूर्व मन्जूरी के बिना संस्थित नहीं होगी ।

(4) पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को, जिसने उप-धारा (1) या (2) के अधीन दण्डनीय अपराध किया है, वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकेगा ।

नियम बनाने की शक्ति ।

14. (1) सरकार, अधिसूचना द्वारा निम्नलिखित के लिए इस अधिनियम से संगत नियम बना सकेगी,—

(क) महा आदेशक, आदेशक, जिला मैजिस्ट्रेट या धारा 8 के अधीन आदेशक द्वारा प्राधिकृत अन्य अधिकारियों द्वारा प्रयोक्तव्य शक्तियों को विनियमित करने;

(ख) पुलिस बल की सहायता करते समय गृह रक्षकदल के सदस्यों पर पुलिस बल के अधिकारियों द्वारा नियन्त्रण करने का उपबन्ध करना ;

(ग) गृह-रक्षकदल के सदस्यों के संगठन, नियुक्ति, सेवा की शर्तें, कृत्य, कर्त्तव्य, अनुशासन, आयुध, साज-सज्जा और वस्त्र तथा वह रीति जिसमें उन्हें सेवा के लिए बुलाया जाना या कोई प्रशिक्षण लेना अपेक्षित होगा विनियमित करना ;

(घ) इस अधिनियम की धारा 9 के अधीन प्रयोक्तव्य किन्हीं शक्तियों के गृह-रक्षकदल के सदस्यों द्वारा प्रयोग को विनियमित करना ; और

(ङ) साधारणतया इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी करने के लिए ।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात यथाशीघ्र, विधानसभा के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल चौदह दिन से अन्यून अवधि के लिए रखा जाएगा । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक अनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी और यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त सत्रों के अवसान के पूर्व जिसमें उसे इस प्रकार रखा गया है, विधान सभा नियम में कोई परिवर्तन का निश्चय करती है कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा या निष्प्रभाव हो जाएगा । किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

गृह-रक्षक दल के सदस्यों का लोक सेवक होना ।

15. इस अधिनियम के अधीन कार्यरत गृह-रक्षक दल के सदस्य भारतीय दण्ड संहिता 1860 (1860 का 45) की धारा 21 के अर्थ के अन्तर्गत लोक सेवक समझे जाएंगे ।

गृह-रक्षक विधान सभा या स्थानीय निकायों का निर्वाचन लड़ने से; निरर्हित नहीं होगा ।

16. (1) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी, गृह-रक्षक दल का सदस्य, केवल इस तथ्य के कारण से ही किसी स्थानीय प्राधिकरण या विधान मण्डल के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए और होने के लिए निरर्हित नहीं होगा कि वह गृह-रक्षक दल का सदस्य है ।

(2) शंकाओं को दूर करने के लिए, एतद्द्वारा घोषित किया जाता है कि धारा-4 के अधीन नियुक्त महाआदेशक या आदेशक गृह-रक्षक दल का सदस्य नहीं होगा और इसलिए वह किसी स्थानीय प्राधिकरण या विधानमण्डल के सदस्य के रूप में चुने जाने या होने के लिए निरर्हित होगा ।

निरसन और व्यावृत्ति ।

17. प्रथम नवम्बर, 1966 से ठीक पूर्व हिमाचल प्रदेश में समाविष्ट क्षेत्रों में यथा लागू मुम्बई गृह-रक्षक दल अधिनियम, 1947 (1947 का 3) और पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 (1966 का 31) की धारा 5 के अधीन हिमाचल प्रदेश में जोड़े गए क्षेत्रों में यथा प्रवृत्त दि ईस्ट पंजाब वालन्टियर कारप्स ऐक्ट, 1947 (1947 का 8) एतद्द्वारा निरसित किए जाते हैं :

परन्तु एतद्द्वारा निरसित किन्हीं अधिनियमों के उपबन्धों के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई, जिसके अन्तर्गत बनाया गया कोई नियम, की गई नियुक्ति, घोषणा या प्रत्यायोजन जारी किया गया आदेश, अधिसूचना, प्रमाण-पत्र या नोटिस, दिया गया निदेश, गठित गृह-रक्षक दल या रिजर्व बल तथा आरम्भ या जारी रखी गई कोई कार्यवाहियां भी हैं, जहां तक ये इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत नहीं हैं, इस अधिनियम के तत्स्थायी उपबन्धों के अधीन की गई समझी जाएगी ।

अनुसूची

प्ररूप-I

[धारा 5 (3) देखें]

घोषणा

मैं, ...

निवासी ..... एतद्द्वारा सत्यनिष्ठा से घोषणा और प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं गृह-रक्षक दल के सदस्य के रूप में, नियुक्ति की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए, जिसके अन्तर्गत प्रशिक्षण में व्यतीत की गई अवधि भी है या आगे ऐसी अवधि के लिए जैसी सरकार द्वारा बढ़ाई जाए, पक्षपात या अनुराग, विद्वेष या वैमनस्य, साम्प्रदायिक अथवा राजनीतिक पूर्वाग्रह के बिना ईमानदारी से सेवा करूंगा और तत्पश्चात् तीन वर्ष के लिए गृह-रक्षक दल के रिजर्व बल में भी सेवा करूंगा जिस अवधि के दौरान, यदि मुझे प्रशिक्षण या कर्त्तव्य के लिए बुलाया जाएगा तो मैं किसी भी समय और भारत में किसी भी स्थान पर गृह-रक्षक दल के सदस्य के रूप में सेवा करने का वचन देता हूं। मैं अपने सर्वोत्तम कौशल और ज्ञान के अनुसार गृह-रक्षक दल के सदस्य के कर्त्तव्यों का निर्वहन करूंगा।

.....

(हस्ताक्षर)

स्थान .....

तारीख .....

प्ररूप–II

[धारा 5 (3) देखें]

नियुक्ति प्रमाण-पत्र का प्ररूप

श्री ..... सुपुत्र श्री .....

निवासी ..... को हिमाचल प्रदेश गृह-रक्षक दल अधिनियम, 1968 की धारा 5 (3) के अधीन गृह-रक्षक दल का सदस्य नियुक्त किया गया है। जब विधिपूर्वक कर्तव्य रूढ़ हो तो उसे वही शक्तियां, विशेषाधिकार और संरक्षण प्राप्त होंगे जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन नियुक्त किसी पुलिस अधिकारी के हैं।

नियुक्ति की तारीख .....

तारीख .....

स्थान .....

विहित प्राधिकारी के हस्ताक्षर और मोहर।

नियन्त्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित।